कार्यालय चैयरमैन, नीट यूजी (मेडिकल / डेन्टल) प्रवेश मण्डल–2018 एवं प्रधानाचार्य सवाई मानसिह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)

फोन.नं.– 0141–2619020 फैक्स नं.– 0141–2619171 ई.मेल–officeprincipalsmsmc@gmail.com

क्रमांक :एफ / एमसी / शैक्षणिक / स्टेट–यूजी / 18 / 21986

दिनांक : 24/7/18

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के द्वारा एस. बी. सि. रिट याचिका संख्या 15472 / 2018 निखिल चौधरी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा यह निर्देश दिए गए है कि अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग नहीं होने तथा तदनुसार अखिल भारतीय कोटे की रिक्त सीटें समर्पित नहीं होने के तथ्यों के सम्बन्ध में राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात कराए जाने के सम्बन्ध युक्तियुक्त निर्णय लिया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में प्रकरण में विचार किया गया। अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग रूकी हुई है तथा सम्भावित रिक्त सीटे राज्य को समर्पित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग की जाती है तो उससे छात्रों के प्रवेश में मेरिट का उल्लंधन होगा। अर्थात अखिल भारतीय कोटे की रिक्त सीटे मॉपअॅप राउण्ड में भरे जाने पर उच्च मेरिट वाले छात्रों जो कि इन सीटों पर द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रवेश ले सकते थे, प्रवेश नहीं ले पाएंगे एवं कम मेरिट वाले छात्र इन सीटों पर प्रवेश प्राप्त करेंगे जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मेरिट के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा।

भारत सरकार के अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाऐं साथ ही सचिव, एमसीआई से दूरभाष पर प्राप्त राय के अनुसार अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के बाद ही राज्य की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग कराया जाना युक्ति संगत होगा। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पी.जी. मेडिकल प्रवेश के सम्बन्ध में रिट पिटीशन (सि.) संख्या 357 / 2018 रचित सिन्हा व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 में यह मत व्यक्त किया गया है कि राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के बाद की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश निम्नानुसार है:–

> *"The second round of State Counselling has to be conducted after taking into account the reverted seats on completion of the second round of the All India Quota. We are informed that some States and Deemed/Central Institutions completed the second round of Counselling without waiting for the reversion of the unfilled seats in the second round of Counselling of the All India Quota. As this could not have been done, we direct that such States and Deemed/Central Institutions shall conduct the second round of Counselling again after reversion of the unfilled seats in the second round of Counselling of the All India Quota. "*

अतः न्याय हित में राज्य कोटे की नीट यूजी एडमिशन की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग भारत सरकार से अखिल भारतीय कोटे की सम्भावित रिक्त सीटों के राज्य को समर्पण होने तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग की नवीन दिनांक पृथक से सूचित की जाऐंगी।

(हस्ताक्षर)
चैयरमैन, नीट यूजी (मेडिकल / डेन्टल) प्रवेश मण्डल–2018 एवं प्रधानाचार्य सवाई मानसिह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)

21986/ 24/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
4. समस्त प्रधानाचार्य, प्रतिभागी मेडिकल / डेन्टल कॉलेजेज।
5. रक्षित पत्रावली।

-sd-
चैयरमैन, नीट यूजी (मेडिकल / डेन्टल)
प्रवेश मण्डल–2018